

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ राज.

दिनांक:- / / 2016

क्रमांक:-भू.अ./2016/

प्रेषिति.

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
चित्तौडगढ

महोदय.

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री प्रेमी बाई अहीर पति शंकर लाल अहीर नि. पुरोहित का शंकर प.ह. मुन्वाडिया के राजस्व ग्राम पु.का.शंकरा में जमाबन्दी संवत 284 की खाता संख्या 284 में जाति/नाम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि. ने सम्मानजनक जाति/नाम प्रेमबाई अहीर पाली शंकर लाल अहीर की रिपोर्ट की है। सम्मानजनक जाति/नाम प्रेमबाई अहीर पाली शंकर लाल अहीर का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जाना उचित है। दोनों जातियाँ (पूर्व एवं वर्तमान संशोधन से संबंधित जाति) अनुसूचित जाति श्रेणी के ही अन्तर्गत आती है/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं।

जाति संशोधन की रिथिति में राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 (बी) का उल्लंघन भी नहीं होता है। अतः संशोधन किया जाना उचित है।

तहसीलदार चित्तौडगढ

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ राज.

क्रमांक:-रीडर/2016/1058

दिनांक:- / / 2016

निमित्त.

पटवार हल्का मुन्वाडिया

18/12/2025

विषय:-सम्मानजनक जाति/नाम दर्ज करने बाबत।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 136 पाली प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/प्रार्थीयान के अनुसार श्री प्रेमी बाई अहीर पति शंकर लाल अहीर राजस्व ग्राम पुरोहित का शंकर प.ह. मुन्वाडिया की खाता संख्या 284 में जाति/नाम प्रेमबाई अहीर पाली दर्ज है। जिसे सम्मानजनक करने हेतु रिपोर्ट जांच व पहचान प.ह. व भू.अ.नि. द्वारा की गई है। तहसीलदार चित्तौडगढ द्वारा भी जाति/नाम सम्मानजनक किये जाने की अनुशंसा प्राप्त हुई है।

अतः प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री प्रेमी बाई अहीर पति शंकर लाल अहीर की जाति/नाम प्रेमबाई अहीर पाली शंकर लाल अहीर एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत संशोधित दर्ज करने की स्विकृत एल.ए. द्वारा दी जाती है। प.ह. मुन्वाडिया राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अभल की पालना पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ

। प्रतिलिपि:-तहसीलदार चित्तौडगढ पालना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ